

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 1977/आश्विन 26, 1899

No. 452]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1977/ASVINA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

### NOTIFICATION

#### INCOME-TAX

New Delhi, the 18th October 1977

D. 730(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby amends the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:

- (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules,
- (2) They shall come into force on the 1st day of November, 1977.

In the Income-tax Rules, 1962,—

- (a) for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:—

'26. Rate of exchange for the purpose of deduction of tax at source on income payable in foreign currency.—For the purpose of deduction of tax at source on any income payable in foreign currency, the rate of exchange for the calculation of the value in rupees of such income payable to an assessee outside India shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the date on which the tax is required to be deducted at source under the provisions of Chapter XVIII-B by the person responsible for paying such income.

*Explanation.*—For the purposes of this rule, “telegraphic transfer buying rate”, in relation to a foreign currency, means the rate of exchange adopted by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) for buying such currency where such currency is made available to that bank through a telegraphic transfer;.

(b) for rule 115, the following rule shall be substituted, namely:—

115. *Rate of exchange for conversion into rupees of income expressed in foreign currency.*—The rate of exchange for the calculation of the value in rupees of any income accruing or arising or deemed to accrue or arise to the assessee in foreign currency or received or deemed to be received by him or on his behalf in foreign currency shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the specified date.

*Explanation.*—For the purposes of this rule,—

- (1) “telegraphic transfer buying rate” shall have the same meaning as in the *Explanation* to rule 28;
- (2) “specified date” means—
  - (a) in respect of income chargeable under the head “Salaries”, the last day of the month immediately preceding the month in which the salary is due, or is paid in advance or in arrears;
  - (b) in respect of income chargeable under the head “Interest on securities”, the last day of the month immediately preceding the month in which the income is due;
  - (c) in respect of income chargeable under the heads “Income from house property”, “Profits and gains of business or profession” [not being income referred to in clause (d)] and “Income from other sources” (not being income by way of dividends), the last day of the previous year of the assessee;
  - (d) in respect of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” in the case of a non-resident engaged in the business of operation of ships, the last day of the month immediately preceding the month in which such income is deemed to accrue or arise in India;
  - (e) in respect of income by way of dividends, on the last day of the month immediately preceding the month in which the dividend is declared, distributed or paid by the company;
  - (f) in respect of income chargeable under the head “Capital gains”, the last day of the month immediately preceding the month in which the capital asset is transferred.

[No. 2015/F. No. 142(14)/74]

S. N. SH

Secretary, Central Board of Direct

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1977

कां.आ. 730(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम में निम्नलिखित संशोधन और करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर (आठवां-संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये 1 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“26. विदेशी मुद्रा में संदेय आय पर श्रोत पर कर की कटौति के प्रयोजन के लिए विनिमय दर.—विदेशी मुद्रा में संदेय किसी आय पर श्रोत पर ही कर की कटौति के प्रयोजन के लिए, भारत से बाहर किसी निर्धारिती को संदेय ऐसी आय के मूल्य की संगणना रूप्यों में करने के लिए विनिमय दर ऐसी मुद्रा पर उस तारीख को चालू तार अंतरण क्रय-दर होगी जिस तारीख को अध्याय XVII-ख के उपबंधों के अधीन, ऐसी आय संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा श्रोत पर ही कर की कटौती कराने की अपेक्षा की जाती है।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए, विदेशी मुद्रा के संबंध में “तार अंतरण क्रय-दर” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के क्रय हेतु वहां अपनाई गई विनिमय दर अभिप्रेत है, जहां तार द्वारा अंतरण के माध्यम से उस बैंक को ऐसी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) नियम 115 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“115. विदेशी मुद्रा में प्रकट की गई आय के रूप में संपरिवर्तन की विनिमय दर—किसी निर्धारिती की विदेशी मुद्रा में उपगत या उद्भूत होने वाली या उपगत या उद्भूत समझी गई आय या उसके द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में प्राप्त या प्राप्त हुई समझी गई किसी आय के मूल्य को रूप में संगणित करने के लिए विनिमय दर उस निर्दिष्ट तारीख को उस मुद्रा की तार अंतरण क्रय-दर होगी।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए,—

(1) ‘तार अंतरण क्रय-दर’ का वही अर्थ होगा जो नियम 26 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

(2) ‘निर्दिष्ट तारीख’ से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) ‘वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय की बाबत उस मास के ठीक पूर्ववर्ती मास की अन्तिम तारीख, जिसमें वेतन देय होता है या अग्रिम रूप से या बकाए के रूप में संदत्त किया जाता है;

(ख) ‘प्रतिभूतियों पर व्याज’ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय की बाबत उस मास के ठीक पूर्ववर्ती मास की अन्तिम तारीख, जिसमें आय शोध है;

(ग) ‘गृह संपत्ति से आय’ ‘कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ’ [जो खण्ड (घ) में निर्दिष्ट आय-न हो] और ‘अन्य श्रोतों से आय’ (जो बाभाश से हुई आय न हो) निर्धारिती के पूर्व वर्ष का अन्तिम दिन;

(घ) अनिवासियों द्वारा पोत परिवहन कारबार में लगे होने की दशा में “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय की बाबत ऐसे

मास से ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिस में ऐसी आय उद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है;

(ड) लाभांश के रूप में हुई आय की बावत, उस मास से ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिस मास में कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, वितरित किया गया है या संदत्त किया गया है;

(च) 'पूँजी अभिलाष' शीर्ष के अधीन प्रभाष्य आय की बावत, उस मास के ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसमें पूँजी-प्राप्तियाँ अंतरित की गई हों।”।

[सं० 2015/फा०सं० 142 (14)/74-टी०पी०एल०]

एस० एन० शण्डे,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार, मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977